राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/SNA-HC-2/ 5053 दिनांक 20/11/2024

परिपत्र

विषयः– केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के एस.एन.ए. बैंक संचालन के संबंध में।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के एस.एन.ए. बैंक की कटौतियों का संबंधित बजट मद में शीघ्र जमा कराये जाने के संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.10.2022, 14.06.2023, 03.01.2024, के द्वारा समस्त प्रशासनिक विभाग/ विभागाध्यक्ष CSS योजना नोडल अधिकारियों के दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

प्रोरेटा चार्जेज कटौती राशि को भी उपरोक्त परिपत्रों के क्रम में संबंधित बजट मद में जमा कराया जाना अपेक्षित है, किन्तु कई विभाग विभागीय पी.डी. खाता न होने के कारण प्रोरेटा चार्जेज की राशि को संबंधित बजट मद में जमा नहीं हो पा रही है।

अतः ऐसी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं जिनके संचालक विभाग का पी.डी. खाता नहीं है तथा जिनकी Implementing Agency (Works Department) द्वारा विभिन्न बिलों से प्रोरेटा चार्जेज के तहत की गई कटौती राशि को प्रोरेटा चार्जेज से संबंधित बजट मद में निम्नानुसार प्रक्रिया से स्थानान्तरित किया जाना है :–

1. संबंधित IA (जो कि साधारणतया कोई वर्क्स का डिविजन है) द्वारा प्रोरेटा चार्जेज की राशि को MD-V में स्थानांतरित किया जावे।
2. MD-V में स्थानान्तरित उक्त राशि के आहरण हेतु विभाग द्वारा बनाए जाने वाले बिल से राशि का समायोजन बुक ट्रांसफर द्वारा प्रोरेटा के बजट मदों में किया जाए।

यह वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 602400288 दिनांक 07.11.2024 से अनुमोदित है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/SNA-IAC-2/5053 दिनांक 20/11/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव SNA खाताधारक विभाग।
2. विभागाध्यक्ष SNA खाताधारक विभाग।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. एवं श्री ललित गोयल, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) (WAM), एल.आई.सी. भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सिस्टम में परिपत्र के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752